हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 10 मार्च, 2025 को 02.00 बजे मध्याहन-पश्चात् विधान भवन, चण्डीगढ़ में हरियाणा विधानसभा के हाल में होने वाली हरियाणा विधान सभा की बैठक की कार्यसूची।

I. प्रश्न ।

पृथक सूची में दर्ज प्रश्न पूछे जाएंगे तथा उत्तर दिए जाएंगे।

II. शून्य काल ।

III. कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट ।

(i)	अध्यक्ष	विभिन्न कार्य के संबंध में कार्य सलाहकार समिति द्वारा निश्चित की गई समय सारणी प्रतिवेदित करेंगे।
(ii)	समिति के एक सदस्य	प्रस्ताव करेंगे कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति की पहली रिपोर्ट में दी गई सिफारिशें स्वीकार करता है।

IV. नेवा पोर्टल के माध्यम से सदन की मेज पर रखे जाने वाले/पुन: रखे जाने वाले कागज-पत्र।

1.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
2.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
3.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
4.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 मार्च, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
5.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10 /जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
6.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
7.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
8.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।

9.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
10.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 अप्रैल, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
11.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 मई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
12.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
13.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
14.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
15.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
16.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 36/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
17.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 जुलाई, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
18.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
19.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
20.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
21.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 41/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।

22.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 42/जी.एस.टी-2, दिनांकित 7 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
23.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 43/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
24.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 44/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
25.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 45/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अगस्त, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
26.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 46/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
27.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 47/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
28.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 48/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
29.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 49/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
30.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 50/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
31.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 51/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
32.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 52/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
33.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 53/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
34.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 54/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
35.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 55/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।

36.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 56/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
37.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 57/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
38.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 58/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
39.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 59/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
40.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 60/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
41.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 61/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
42.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 62/जी.एस.टी-2, दिनांकित 20 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
43.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 63/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
44.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 64/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
45.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 65/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
46.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 66/जी.एस.टी-2, दिनांकित 27 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
47.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 67/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 अक्तूबर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
48.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 68/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 नवम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।

49.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 69/जी.एस.टी-2, दिनांकित 23 नवम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
50.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 70/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 दिसम्बर, 2023 मेज पर पुन: रखेंगे।
51.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 01/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
52.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 02/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
53.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 03/जी.एस.टी-2, दिनांकित 24 जनवरी, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
54.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 06/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 मार्च, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
55.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 07/जी.एस.टी-2, दिनांकित 14 मार्च, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
56.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 08/जी.एस.टी-2, दिनांकित 21 मई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
57.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 09/जी.एस.टी-2, दिनांकित 31 मई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
58.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 16/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
59.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 17/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
60.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 18/जी.एस.टी-2, दिनांकित 15 जुलाई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
61.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 19/जी.एस.टी-2, दिनांकित 19 जुलाई, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
62.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 20/जी.एस.टी-2, दिनांकित 08 अगस्त, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।

63.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 21/जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अगस्त, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
64.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 22/जी.एस.टी-2, दिनांकित 28 अगस्त, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
65.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 23/जी.एस.टी-2, दिनांकित 30 सितम्बर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
66.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 24/जी.एस.टी-2, दिनांकित 01 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
67.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 25/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
68.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 26/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
69.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 27/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
70.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 28/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
71.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 29/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
72.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 30/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
73.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 31/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
74.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 32/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
75.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 33/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
76.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 34/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।

77.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 35/जी.एस.टी-2, दिनांकित 29 अक्तूबर, 2024 मेज पर पुन: रखेंगे।
78.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 37/जी.एस.टी-2, दिनांकित 06 दिसम्बर, 2024 मेज पर रखेंगे।
79.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 38/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 दिसम्बर, 2024 मेज पर रखेंगे।
80.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 39/जी.एस.टी-2, दिनांकित 09 दिसम्बर, 2024 मेज पर रखेंगे।
81.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 40/जी.एस.टी-2, दिनांकित 11 दिसम्बर, 2024 मेज पर रखेंगे।
82.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 2/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
83.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 3/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
84.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 4/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
85.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 5/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
86.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 6/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
87.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 7/जी.एस.टी-2, दिनांकित 13 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
88.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 8/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
89.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 9/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
90.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 10/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।

91.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 11/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
92.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 12/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
93.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 13/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
94.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 14/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
95.	एक मंत्री	हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 166 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार आबकारी एवं कराधान विभाग अधिसूचना संख्या 15/जी.एस.टी-2, दिनांकित 16 जनवरी, 2025 मेज पर रखेंगे।
96.	एक मंत्री	बिजली अधिनियम, 2003 की धारा 182 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार उर्जा विभाग अधिसूचना/विनियम संख्या एच.ई.आर.सी/29/2014/5वां संशोधन/2024, दिनांकित 01 अगस्त, 2024 मेज पर रखेंगे।
97.	एक मंत्री	मानव सरक्षंण अधिनियम, 1993 की धारा 28 (2) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा मानव अधिकार आयोग की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
98.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
99.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे
100.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की 26वीं वार्षिक वित्तीय रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
101.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा परिवहन अभियांत्रिकी निगम लिमिटेड (एच.आर.ई.सी) की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
102.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2022-2023 (01.04.2022 से 31.03.2023) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
103.	एक मंत्री	हरियाणा लोकायुक्त अधिनियम, 2002 की धारा 17 (4) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार, वर्ष 2023-2024 (01.04.2023 से 31.03.2024) के लिए हरियाणा लोकायुक्त की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
104.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2021-2022 के लिए हरियाणा राज्य सड़कें तथा पुल विकास निगम लिमिटेड की 23वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।

105.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 395 (1) (ख) के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए हरियाणा राज्य सड़कें तथा पुल विकास निगम लिमिटेड की 24वीं वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
106.	एक मंत्री	कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अधीन की गई अपेक्षा के अनुसार वर्ष 2022-2023 के लिए माल और सेवा कर नेटवर्क की वार्षिक रिपोर्ट मेज पर रखेंगे।
107.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए हरियाणा सरकार की 2024 की रिपोर्ट संख्या-3 (अनुपालन लेखा-राजस्व) की अनुपालन लेखा परीक्षा रिपोर्ट-II पर भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक रिपोर्ट मेज़ पर रखेंगे।
108.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सरकार के वित्त लेखे (भाग-1 तथा 2) मेज़ पर रखेंगे।
109.	वित्त मंत्री	भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) के उपबंधों के अनुसरण में वर्ष 2023-2024 के लिए हरियाणा सरकार के विनियोग लेखे मेज़ पर रखेंगे।

V. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा

(i)	श्री घनश्याम दास, एम.एल.ए.	प्रस्ताव करेंगे कि राज्यपाल महोदय को एक समावेदन निम्नलिखित शब्दों में पेश किया जाए :- "कि इस सत्र में इकट्ठे हुए हरियाणा विधान सभा के सदस्य उस अभिभाषण के लिए राज्यपाल महोदय के अत्यन्त कृतज्ञ हैं जो उन्होंने 07 मार्च, 2025 को 11.00 बजे प्रात: सदन में देने की कृपा की है।"।
(ii)	श्री योगिन्दर सिंह राणा, एम.एल.ए.	उपरोक्त प्रस्ताव का समर्थन करेंगे।

VI. सरकारी संकल्प

एक मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि- "चूंकि, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, ट्रैवल एजेंटों की पारदर्शिता, उत्तरदायित्व, अखण्डता सुनिश्चित करने और उनकी अवैध और कपटपूर्ण गतिविधियों की जांच करने और उन पर अंकुश लगाने, हरियाणा राज्य के निवासियों के हितों की रक्षा करने के लिए ढांचा स्थापित करने और उससे सम्बन्धित या उसके आनुषंगिक मामलों के लिए हरियाणा विधानमंडल द्वारा 2024 का विधेयक संख्या 6-एच.एल.ए. पारित किया गया था;

और चूंकि, उक्त विधेयक को भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 में दिए गए उपबंधों की अनुपालना में हरियाणा के राज्यपाल को उस पर उनकी सहमति के लिए प्रस्तुत किया गया था;

और चूंकि, हरियाणा के राज्यपाल द्वारा उक्त विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद 201 के अधीन भारत के राष्ट्रपति के विचारण के लिए आरक्षित किया गया;

और चूंकि, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024, भारत के राष्ट्रपति की सहमति के लिए गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया था। गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हरियाणा के राज्यपाल के सचिव के माध्यम से प्राप्त गृह मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यटन मंत्रालय तथा कारपोरेट मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार से कुछ बिन्दुओं पर टिप्पणियां मांगी गई। यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन था। इसी दौरान भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45), दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872(1872 का केन्द्रीय अधिनियम 1) को बदलते हुए तीन नए दांडिक कानून अर्थात् भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 45), भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 46) तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम 47) प्रथम जुलाई, 2024 से लागू किए गए थे। अत: विचार-विमर्श उपरान्त यह निर्णय लिया गया कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार से हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को वापिस करने का अनुरोध किया जाए, चूंकि हरियाणा राज्य नए अधिनियमित आपराधिक कानूनों में दिए गए उपबन्धों को शामिल करने तथा उपरोक्त टिप्पणियों के निवारण के बाद एक नया विधेयक प्रस्तुत करने का इरादा रखता है;

और चूंकि, मंत्री परिषद् की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री, हरियाणा ने हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्या 6- एच.एल.ए.) को वापिस लेने का निर्णय लिया है;

इसलिए, अब, भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 तथा 201 में दिए गए उपबन्धों के अनुसरण में, हरियाणा राज्य विधानसभा, इसके द्वारा, हरियाणा ट्रैवल एजेंटों का पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2024 को वापिस लेने का संकल्प पारित करती है।"

VII. विधायी कार्य।

(पुरःस्थापित किया जाने वाला विधेयक)

हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2025	एक मंत्री	हरियाणा ग्राम शामलात भूमि (विनियमन) संशोधन विधेयक को पुरःस्थापित करेंगे;

चण्डीगढ़:
07 मार्च, 2025.

डॉ सतीश कुमार,
सचिव।